संख्या-११८ / 2016 / 278 / 52-1-2016-1(130) / 2013

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 08 नवम्बर, 2016

विषय- 12वीं पंचवर्षीय योजना में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड-उत्तरौला के महुवाधानी में स्वीकृत पी0एच0सी0 के चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त लागतवृद्धि की धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड-उत्तरौला के महुवाधानी में स्वीकृत पी0एच0सी0 के चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल धनराशि रू0 98.94 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 49.47 लाख कार्यदायी संस्था–**कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को शासन स्तर से अवमुक्त किये गये थे।

2- उक्त परियोजना के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा शासन को रू0 235.90 लाख का आंगणन प्रस्तुत कर लागत वृद्धि की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.09.2015 में सम्यक विचारोपरान्त पुनरीक्षित लागत रू0 235.90 लाख के सापेक्ष रू0 219.85 लाख की लागत अनुमोदित की गयी। अत: उक्त परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 219.85 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागतवृद्धि की धनराशि रू० 87.85 लाख (रू० सत्तासी लाख पच्चासी हजार मात्र) राज्यांश के रूप में योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट रू0 2000.00 लाख तथा अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष उपलब्ध बजट रू0 963.95 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त धनराशि का व्यय एवं उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

1- परियोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

2- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

3- प्रायोजनान्तर्गत् 5516.68 घ0मी0 मिट्टी भराई हेतु रू0 18.80 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी थी, परन्तु इस मद में फिलहाल एकमुश्त रू0 5.00 लाख की मिट्टी अनुमन्य की गयी है। अवशेष मिट्टी की लागत के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर सुसंगत नियमों का पालन करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही करेंगे, तदोपरान्त पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट पर प्रशासनिक विभाग सहमत होने के पश्चात मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता(भवन) (सदस्य व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। मिट्टी भराई पर व्यय होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक प्रायोजना की लागत बढी हुयी मानी जायेगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित मिट्टी भराई मद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बढी हुई लागत को पुन: व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

4- प्रश्नगत परियोजना का परीक्षण लागत आंगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्रा में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि अनुमोदित कार्यों में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो, इस स्थिति में पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

6- शासनादेश संख्या-जी0आई0-48/52-1-2014-1(130)/2013, दिनांक 25 फरवरी, 2014 में निहित शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- उक्त के फल स्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0106-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण (के0 85-रा0 15)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2015-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-278(1)/बावन-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6- निदेशक, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण का समयान्तर्गत, मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्माण पूर्ण कराने का कष्ट करें।
7- जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निर्मित होने वाले चिकित्सालय भवन

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं आवासीय भवन के निर्माण का गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

10- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि आहरित नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

11- वित्त-ई-11 ।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को स्वच्छ प्रति की 03 प्रतियां।

13- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज उत्तर प्रदेश को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

14- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in